—: अल्पकालीन निविदा सूचना :—

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस वन्य जीव विहार एव राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु गोविन्द वन्य जीव विहार एव राष्ट्रीय पार्क, पुरोला में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदा दिनांक 12.11.2021 से दिनांक 22.11.2021 को दोपहर 12.00 बजे तक उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के कार्यालय में सील्ड टेण्डर बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदा दाता चाहे तो उपस्थित रह सकते है। निविदा प्रपत्र दिनांक 12.11.2021 के पूर्वाहन 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस मे प्राप्त किये जा सकते है यह निविदा दिनांक 22.11.2021 को दोपहर 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निविदा की विस्तृत शर्ते वन विभाग की वेबसाइट **www.forest.uk.gov.in** तथा उप निदेशक कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। उल्लिखित कार्यो के लिए इस कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदार द्वारा पंजीकृत प्रमाण पत्र की मूल/सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने पर ही निविदा प्रपत्र दिये जायेगें।

क्र० स०	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर की धनराशि 3 %	निविदा प्रपत्र का मूल्य + 18 % GST	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	पांवतल्ला मुख्य मार्ग के पांवमल्ला ककोई तक पैदल मार्ग का अनुरक्षण	4.00	12000.00	1000+ 18 % GST	कार्यदेश जारी होने के 01 के अन्दर
2	सुनकुण्डी से सिरगा तक पैदल मार्ग का अनुरक्षण/सुदृढीकरण	4.00	12000.00	1000+ 18 % GST	कार्यदेश जारी होने के 01 के अन्दर
3	सुनकुण्डी से सटूडी विणासू पैदल मार्ग का अनुरक्षण/सुदृढीकरण	8.00	24000.00	1000+ 18 % GST	कार्यदेश जारी होने के 01 के अन्दर
4	ग्राम पूर्ति के कुपडा खड्ड पर 15 मी० विस्तार के लॉगब्रिज का पुनः निर्माण कार्य	7.00	21000.00	1000+ 18 % GST	कार्यदेश जारी होने के 01 के अन्दर
5	जखोल सुनकुण्डी पैदल मार्ग तथा कनोरा खड्ड पर 10 मी० विस्तार के लॉगब्रिज का पुनः निर्माण कार्य	6.00	18000.00	1000+ 18 % GST	कार्यदेश जारी होने के 01 के अन्दर
6	सिरगा से तालुका पैदल सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण/सुदृढीकरण	4.50	13500.00	1000+ 18 % GST	कार्यदेश जारी होने के 01 के अन्दर

टेण्डर की शर्ते

1. ठेकेदार को नियमानुसार जी0एस0टी0 आयकर, तथा तत्समय लागू अन्य कर व शुल्क देना होगा।
2. टेण्डर सील्ड टेण्डर बॉक्स में मान्य होगें।
3. टेण्डर फार्म नगद भुगतान पर उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क के कार्यालय से नियत तिथि तक किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय अवधि में प्राप्त किये जा सकते है।
4. ठेकेदार का उप निदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार एवं रा0पा0 पुरोला के कार्यालय में पंजीकरण/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
5. प्राक्कलन की धनराशि वही मान्य होगी, जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी एवं भुगतान इसी के आधार पर कार्य का मूल्यांकन कर दिया जायेगा।
6. कार्य में लगे श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक भुगतान के दृष्टिगत प्राक्कलन की धनराशि से 15 प्रतिशत से अधिक कमी के टेण्डर स्वीकार नही किये जायेगें।

7. ठेकेदार को आंशिक भुगतान उसके द्वारा पूर्ण किये गये कार्य की मात्रा एवं उसके मूल्यांकन के अनुरूप किया जायेगा, जो बजट की उपलब्धता के अनुसार होगा। कार्य में त्रुटि होने पर आंशिक भुगतान रोका जा सकता है। तथा कार्य के दौरान यदि निरीक्षण/अनुश्रवण के समय कार्य की गुणवत्ता/प्रगति संतोषजनक नही पायी जाती है तो टेण्डर निरस्त भी किया जा सकता है।
8. जमानत की धनराशि प्राक्कलन की धनराशि का 10 प्रतिशत अथवा अधोहस्ताक्षरी के विवेकानुसार बढायी जा सकती है।
9. यदि किसी स्वीकृत निविदा को ठेकेदार द्वारा कार्य अपूर्ण छोड दिया जायेगा तो ऐसे कार्य को विभागीय रूप से पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी तथा इस कार्य का मूल्य ठेकेदार के भुगतान व जमानत से वसूला जायेगा।
10. कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण तथा कार्य करने हेतु जो मापदण्ड अपनाये जायेगें उसके अनुरूप कार्य करना होगा, अधोस्ताक्षरी अथव उनके नामित अधिकारी के समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य का संचालन किया जायेगा।
11. कार्य अवधि के अन्दर कार्य (अनुबन्ध पत्र में दी गयी अवधि के अन्तर्गत) समाप्त न होने पर प्राक्कलन मूल्य में 0.01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
12. ठेकेदार को वन क्षेत्र की नदियों से निर्माण सामग्री जैसा पत्थर, रेत व रोड़ी एवं निर्माण कार्य हेतु वन क्षेत्र से लकड़ी का उपयोग आदि की अनुमति नही दी जायेगी। उक्त सामग्री ठेकेदार द्वारा स्वयं बाजार से क्रय कर लानी होगी। पूछने पर प्रयुक्त की जानी वाली सामग्री के समबन्ध में ठेकेदार को सामग्री की रसीद/रवन्ना मौके पर दिखाना होगा।
13. वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड–19 के चलते राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

टेण्डर के नियम :–

- टेण्डर के बाहर जिस कार्य के लिये टेण्डर दिया गया हो, उस कार्य का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग टेण्डर देना अनिवार्य है, एक ही टेण्डर में सब कार्यों का टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- टेण्डर के साथ धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0 जो उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के नाम बन्धक हो संलग्न की जानी अनिवार्य है, जिस व्यक्ति का टेण्डर स्वीकृत होगा उसका यह बन्धक धन जमानत में सम्मलित किया जा सकता है। अन्य ठेकेदारों द्वारा जमा की गयी बन्धक राशि नियमानुसार वापस की जा सकेगी।

- अधोहस्ताक्षरी अथवा सक्षम स्तर के अधिकारी सबसे कम अथवा किसी भी प्राप्त टेण्डर को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं होगें, तथा बिना कारण बताये किसी भी टेण्डर को अस्वीकार कर सकते हैं।

- न्यूनतम दर के टेण्डर स्वीकृत होते ही टेण्डर की कीमत का 7 प्रतिशत या उससे अधिक जैसा उप निदेशक उचित समझे जमानत के रूप में एन0एस0सी0/एफ0डी0 के रूप में जमा करनी होगी, जो उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला के पक्ष में निरूपित हो। प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर कार्य की स्वीकृति के पश्चात कार्य एक सप्ताह के अन्दर आरम्भ करना होगा। ऐसा न करने पर जमानत की धनराशि जब्त की जायेगी।

- कार्यों की निविदा सूचना में दी गयी कार्य पूर्ण करने की अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा।

- यदि उच्चधिकारियों द्वारा प्राक्कलन किसी प्रकार संशोधित किया जाता है, तो वह ठेकेदार को मान्य होगा तथा भुगतान तदनुसार समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

- कार्य का पूर्ण भुगतान उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात तथा कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक पाये जाने के उपरान्त किया जायेगा। भुगतान वास्तविक कार्य/मात्रा के अनुपात में किया जायेगा।

- कार्य के दौरान यदि एस्टीमेट में वर्णित कार्य के अतिरिक्त चट्टान इत्यादि की कठिनाई आये, अथवा हालात बदल जाये तो इस सम्बन्ध में विभाग का कोई उत्तरदाईत्व नहीं होगा।

- ठेकेदार अपने स्वीकृत कार्य को किसी दूसरे ठेकेदार को उप ठेके अथवा अन्य रूप में नहीं दे सकता है। ऐसे अवैधानिक उप ठेके, अथवा अन्य रूप से सौपे गये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किये जायेगें। निर्माण कार्य में जो मलवा आदि स्थल पर आयेगा, ठेकेदार को उसे साफ करना होगा।

- कार्य अवधि के अन्दर कार्य (अनुबन्ध पत्र में दी गयी अवधि के अन्तर्गत) समाप्त न होने पर प्राक्कलन मूल्य के 0.01 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

- औजार इत्यादि का प्रबन्ध ठेकेदार का स्वयं करना होगा।

- निविदादाता निविदा प्रेषित करने से पूर्व कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण कर ले, बाद में किसी प्रकार की शिकायत मान्य नहीं होगी।

- यदि निविदा खोलने की तिथि में कोई राजकीय अवकाश पड़ता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।

- अन्तिम भुगतान हो जाने के उपरान्त भी यदि कोई राजकीय बकाया वसूली हेतु अवशेष रह जाती है, तो उसके भुगतान हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।

- यह शर्तें अनुबन्ध का एक भाग होगी, जो निविदादाता पर बाध्यकारी होगी।

- टेण्डर के साथ 100 रू0 का स्टाम्प जिस पर 1 रू0 का रेवन्यू टिकट लगा होना चाहिए। संलग्न न होने के दशा में टेण्डर अस्वीकार होगा।

- किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून का निर्णय अन्तिम व उभय पक्ष को मान्य होगा।

(डी0पी0बलूनी)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं
राष्ट्रीय पार्क, पुरोला

कार्यालय–उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फैक्स नं0- 01373-223433, Email- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 893 / 3-2 पुरोला: दिनांक 11/11/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. आई0टी0 सैल कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, देहरादून।
5. विकासखण्ड अधिकारी, पुरोला/मोरी
6. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला।
7. जिला सूचनाधिकारी, उत्तरकाशी।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

(डी0पी0बलूनी)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार एवं
राष्ट्रीय पार्क, पुरोला

ITGC
आ.शा.को.

22/11/21 22/11/21